यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर के माह 05/2011 से 12/2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संजय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं दयाशंकर, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा दिनॉक 23.01.2017 से 27.01.2017 तक श्री डी0 एन0 मिश्रा, व0 लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गयज्ञं

भाग–1

1. (अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री महेन्द्र तिवारी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री एस0 के0 डंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 27.05.2011 से 04.06.11 तक श्री एस0 के0 त्यागी, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2010 से 04/2011 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखा परीक्षा में माह 04/2011 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के कियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– बागेश्वर जनपद के अन्तर्गत संचालित चिकित्सालयों का नियंत्रण।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू0 लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (–) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | | |
| 2013–14 | 0 | 0 | 587.496 | 548.631 | 423.685 | 408.082 | 0 | 54.46 |
| 2014–15 | 0 | 0 | 571.829 | 560.212 | 378.433 | 369.420 | 0 | 20.62 |
| 2015–16 | 0 | 0 | 695.200 | 661.480 | 304.354 | 294.660 | 0 | 43.41 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण।

(धनराशि रू0 लाख में)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रा0 अवशेष | प्राप्त | अन्य प्राप्ति | कुल धनराशि | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | आर0सी0एच0 फलैक्सीपुल | 101.01 | 237.32 | 5.61 | 343.94 | 191.43 | 152.51 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | 61.65 | 120.65 | 3.41 | 185.71 | 98.74 | 76.59 |
| | प्रतिरक्षण कार्यक्रम | 20.24 | 17.51 | 0.76 | 38.51 | 26.84 | 11.67 |
| | अन्धता निवारण | 5.18 | 4.79 | 0.23 | 10.20 | 4.68 | 5.52 |
| | क्षय नियंत्रण | 4.31 | 10.83 | 0.22 | 15.36 | 14.15 | 1.21 |
| | कुष्ठ नियंत्रण | 0.01 | 0.77 | 0.01 | 0.79 | 0.54 | 0.25 |
| | समन्वित रोग निगरानी परियोजना | 0.65 | 7.68 | 0.09 | 8.42 | 7.16 | 1.26 |
| | मलेरिया कार्यक्रम | 1.7 | 2.44 | 0.09 | 4.23 | 2.05 | 0.48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | आर0सी0एच0 फलैक्सीपुल | 141.45 | 235.17 | 4.5 | 381.12 | 215.56 | 165.56 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | 76.58 | 119.15 | 2.34 | 198.07 | 100.68 | 97.39 |
| | प्रतिरक्षण कार्यक्रम | 22.29 | 29.9 | 0.43 | 52.62 | 25.45 | 27.17 |
| | अन्धता निवारण | 5.52 | 10.12 | 0.24 | 15.88 | 3.92 | 11.96 |
| | क्षय नियंत्रण | 1.21 | 18.35 | 0.14 | 19.70 | 19.33 | 0.37 |
| | कुष्ठ नियंत्रण | 0.24 | 0.32 | 0.02 | 0.58 | 0.42 | 0.16 |
| | समन्वित रोग निगरानी परियोजना | 1.27 | 10.7 | 0.06 | 12.03 | 10.46 | 1.57 |
| | मलेरिया कार्यक्रम | 0.48 | 0 | 0.02 | 0.50 | 0.07 | 0.43 |
| 2015–16 | आर0सी0एच0 फलैक्सीपुल | 165.56 | 218.18 | 16 | 399.29 | 239.62 | 84.67 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | 97.39 | 167.18 | 8.59 | 273.16 | 195.83 | 47.33 |
| | प्रतिरक्षण कार्यक्रम | 27.17 | 43.6 | 3.65 | 74.42 | 30.23 | 44.19 |
| | अन्धता निवारण | 11.96 | 0.09 | 0.47 | 12.49 | 3.51 | 8.98 |
| | क्षय नियंत्रण | 0.37 | 36.7 | 0.4 | 37.48 | 32.66 | 4.82 |
| | कुष्ठ नियंत्रण | 0.16 | 0.73 | 0.005 | 0.90 | 0.43 | 0.465 |
| | समन्वित रोग निगरानी परियोजना | 1.57 | 13.84 | 0.05 | 15.46 | 12.15 | 3.31 |
| | मलेरिया कार्यक्रम | 0.43 | 1.2 | 0.01 | 1.64 | 0.89 | 0.75 |
| | एन0पी0पी0सी0डी0 | 0 | 8.91 | 0 | 8.91 | 1.34 | 7.57 |

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर सी श्रेणी की है।

(iv) लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखा परीक्षा विधिः लेखा परीक्षा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2016 एवं माह 03/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य एवं जिला योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो की सूची माह 12/2016 के आधार पर कार्यों का चयन किया गया।

(v) लेखा परीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग - **III**

1. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण।

| लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या | भाग दो–अ | भाग दो–ब | **STAN** |
|---|---|---|---|
| 24 / 2011–12 | 1,2,3 | – | – |

2. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

## भाग - **IV**

–शून्य–

भाग 2 ब

प्रस्तर–1:– निर्माण कार्य पर रू0 84.90 लाख का अलाभकारी व्यय एवं रू0 70.59 लाख का लागत में **सम्भावित** वृद्धि होना।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में कुछ चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जहां प्रसवों की संख्या अधिक है, में ट्रांसिट होम बनाये जाने का प्रावधान किया गया था। इसमें प्रसव हेतु आने वाली महिलाओं के साथ आये सम्बन्धियों/रिश्तेदारों/आशा कार्यकर्ता को इस दौरान रहने की सुविधा प्रदान किया जाना था।

उक्त ट्रांसिट होम के निर्माण हेतु निर्माण इकाई, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, द्वारा पूर्व में प्रेषित रू0 73.19 के सापेक्ष रू0 86.20 का संशोधित आगणन प्रस्तुत किया गया (दि0 12.12.07) जिस पर रू0 75.27 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (दि0 24.03.08)। निर्माण इकाई को माह 5/2008 में प्रथम किश्त रू0 25.00 लाख अवमुक्त की गयी (दि0 26.08.08) एवं इकाई द्वारा 9/2008 में कार्य प्रारम्भ करा दिया गया। पुनः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा रू0 50.27 लाख की धनराशि इन निर्देशों के साथ अवमुक्त की गयी कि कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित कराया जाए (दि0 28.02.09) क्योंकि पूर्व में बिना एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किये ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि पर्याप्त न होने के कारण निर्माण इकाई ने उक्त भवन को तीन मंजिला बनाने का प्रस्ताव रखा (दि0 15.06.09) जिस पर इकाई द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गयी (दि0 02.07.09)। इसके पश्चात निर्माण इकाई द्वारा रू0 99.35 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया (दि0 09.04.10) जिस पर पुनः रू0 84.90 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 9.63 लाख अवमुक्त किये गये (दि0 05.05.11)। पुनरीक्षित आगणन पर किये गये एम0ओ0यू0 के अनुसार निर्माण इकाई को दिनांक 15.09.11 को कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 15.12.11 तक पूर्ण करना था। निर्माण इकाई को कुल रू0 84.90 लाख अवमुक्त किये जा चुके थे इसके बावजूद इकाई द्वारा निर्धारित समय में उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका एवं दिनांक 22.08.2015 को रू. 145.86 लाख का पुनरीक्षित आगणन महानिदेशक के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया गया जिस पर लगभग 01 वर्ष 06 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी। इस प्रकार मई 2008 से प्रारम्भ हुआ कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक 08 वर्ष 08 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किया जा सका एवं दो बार आगणन को पुनरीक्षित करना पड़ा। साथ ही उक्त कार्य की लागत में रू0 70.59 लाख (रू0 145.86–75.27) की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया कि उक्त कार्य हेतु पर्याप्त जमीन उपलब्ध न होने के बावजूद बिना एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किये उक्त कार्य को प्रारम्भ करवाया गया एवं बिना प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किये पूर्व ड्राईंग/डिजाइन में परिवर्तन कर उसे तीन मंजिल का किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि पूर्व वर्षो में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किये जाने का कोई शासनादेश नहीं था। निर्माण इकाई को उपलब्ध करायी गयी भूमि पर्याप्त थी। तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं निर्माण इकाई के निर्णय के आधार पर भवन के डिजाइन

में परिवर्तन का निर्णय लिया गया एवं पूर्व में निर्माण इकाई को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने स्तर से बार–बार कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि शासनादेशों में एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये जाने का उल्लेख नहीं भी किया गया था तो भी इकाई का यह कर्तव्य था कि वह कार्यदायी संस्था के साथ कार्य प्रारम्भ एवं उसे पूर्ण की तिथि की शर्तो के साथ उसे आदेश निर्गत करे। ऐसा न करने के कारण ही पूर्व में सम्पूर्ण राशि मिलने के बाद भी निर्माण इकाई द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया। दूसरे शासन से स्वीकृति प्राप्त किये बिना मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं निर्माण इकाई के निर्णय के आधार पर पूर्व ड्राईंग/डिजाइन में परिवर्तन किया गया जबकि उक्त कार्य हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी। विभाग की उदासीनता के कारण उक्त कार्य में रू0 70.59 लाख (रू0 145.86–75.27) की लागत में वृद्धि हो गयी एवं लगभग 01 वर्ष 06 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी संशोधित आगणन पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी एवं 08 वर्ष 08 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त ट्रांसिट होम को जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाना था वह पूर्ण नहीं हो सका एवं उक्त कार्य पर अब तक किया गया व्यय रू0 84.90 लाख अलाभकारी रहा।

अतः निर्माण कार्य पर रू0 84.90 लाख का अलाभकारी व्यय एवं रू0 70.59 लाख का लागत में **सम्भावित** वृद्धि होने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर .2:– रू0 9.51 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दनांकः 1 मई, 2008 अधिप्राप्ति के मौलिक सिंद्धान्त बिन्दु संख्या 3(1) में स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, एवं बिन्दु सं0 (10) में स्पष्ट किया गया है कि अधिप्राप्ति के निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

अभिलेखों की औषधी क्रय से सम्बन्धित वर्ष 2015–16 के व्हाउचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इकाई द्वारा कोटेशन/निविदा प्रक्रिया एवं उच्च अधिकारी की संस्तुति प्राप्त करने से बचने के लिए कुल रू0 951183 मूल्य की औषधियों का क्रय सीधे स्वयं के माध्यम से आपूर्ति मूल्य को कम कर उक्त नियमों के विपरीत किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

| क्र0सं0 | फर्म का नाम | बिल क्रमांक | क्रय की तिथि | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishnu Steel Industries | 938 | 01.03.16 | 48521 |
| 2 | -do- | 937 | -do- | 49645 |
| 3 | Universal Enterprises | 7252 | 21.11.15 | 125538 |
| 4 | -do- | 7253 | -do- | 193981 |
| 5 | -do- | 7716 | 14.03.16 | 3023 |
| 6 | -do- | 7714 | -do- | 135261 |
| 7 | -do- | 7715 | -do- | 217493 |
| 8 | Capital Biotech | 016 | 05.12.15 | 71555 |
| 9 | -do- | 017 | -do- | 76136 |
| 10 | A.V. Enterprises | 55 | 18.05.15 | 15015 |
| 11 | -do- | 54 | -do- | 15015 |
| Total | | | | 951183 |

लेखा परीक्षा की आपत्ति को स्वीकारते हुये विभाग ने उत्तर में बताया कि भविष्य में नियमानुयार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः रू0 9.51 लाख की अनियमित औषधियों के क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## STAN

**प्रस्तर-1**:– रू0 4.64 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना।

शासनादेश संख्या–932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के बिन्दु संख्या 11 में यह निर्देशित किया गया था कि 'प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होंगी'।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त नियमों के विपरीत इकाई द्वारा वर्ष 2015–16 में कुल रू0 463573 मूल्य की ऐसी औषधियों (103 आवश्यक औषधियों में से) का क्रय किया गया जोकि उनके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी थी। विवरण निम्नवत है।

| Sl | Name of medicins | MFG Date | 3 Month Validity | Pur. Date | Delay period | Quantity | Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promethazine Inj | 4.2015 | 7.2015 | 16.12.15 | 4 Month 16 days | 2700 | 10131 |
| 2 | Pheniramine Meleate I | 7.2015 | 10.2015 | 16.12.15 | 1 Month 16 days | 2700 | 9301 |
| 3 | Dexamithasone Inj | 8.2015 | 11.2015 | 16.12.15. | 16 days | 4000 | 19419 |
| 4 | Lignocaine Inj | 5.2015 | 8.2015 | 16.12.15 | 3 Month 16 days | 1200 | 4744 |
| 5 | Atropine Sulphate | 6.2015 | 9.2015 | 16.12.15 | 2 Month 16 days | 1000 | 2120 |
| 6 | Dicyclomine 20+Para | 3.2014 | 6.2014 | 10.12.15 | 15 Month 10 days | 3000 | 13992 |
| 7 | Dicyclomine 20+Para | 3.2014 | 6.2014 | 10.12.15 | 15 Month 10 days | 7000 | 32648 |
| 8 | Gentamycin IP 2 ml | 3.2015 | 6.2015 | 03.12.15 | 5 Month 3 days | 2000 | 12880 |
| 9 | Povideone Iodine | 3.2015 | 6.2015 | 05.12.15 | 11 Month 4days | 700 | 5635 |
| 10 | Listman Stain | 2013 | 03.2014 | 04.03.15 | 11 Month 4days | 3 | 720 |
| 11 | P test strip | 10.2014 | 01.2015 | 04.03.15 | 1 Month 4 days | 500 | 6000 |
| 12 | Utrasound jelly | 7.2014 | 10.2014 | 04.03.15 | 4 Month 4days | 25 | 1375 |
| 13 | HCV Kit | 8.2014 | 11.2014 | 04.03.15 | 3Month 4days | 4 | 14400 |
| 14 | Ultrasound roll | 10.2014 | 01.2015 | 12.03.15 | 1 Month 12days | 10 | 7400 |
| 15 | I.V. Canula 20 | 08.2013 | 11.2013 | 26.02.15 | 2 Month 26days | 400 | 5600 |
| 16 | I.V. Canula 22 | 11.2014 | 02.2015 | 26.02.15 | 0 Month 26days | 600 | 8400 |
| 17 | I.V. Canula 20 | 08.2013 | 11.2013 | 31.12.14 | 21 Month 31days | 1000 | 14000 |
| 18 | Bandage cloth | 02.2014 | 05.2014 | 06.02.15 | 12 Month 6days | 200 | 45000 |
| 19 | Rolled bandage | 10.2014 | 01.2015 | 06.02.15 | 0 Month 24days | 400 | 11268 |
| 20 | Catgut No. 1 | 09.2014 | 12.2014 | 24.01.15 | 0 Month 4days | 10 | 14000 |
| 21 | Gentamycin E/D | 05.2014 | 08.2014 | 05.12.14 | 3 Month 5days | 1000 | 12000 |
| 22 | X-ray film | 03.2014 | 06.2014 | 20.01.15 | 6 Month 20days | 3 | 11400 |
| 23 | Surgical Gloves | 08.2013 | 11.2013 | 14.12.14 | 12 Month 14days | 650 | 14300 |
| 24 | Sterlised surgical G | 08.2013 | 11.2013 | 27.09.14 | 9 Month 27days | 650 | 14300 |
| 25 | Paracetamol 500 mg | 03.2014 | 06.2014 | 18.07.14 | 0 Month 18days | 11360 | 23856 |
| 26 | Paracetamol 500 mg | 03.2014 | 06.2014 | 18.07.14 | 0 Month 18days | 3640 | 7644 |
| 27 | Mefze-spas drop | 01.2014 | 04.2014 | 21.07.14 | 2 Month 21days | 3000 | 14310 |
| 28 | Mefze-spas tab | 02.2014 | 05.2014 | 21.07.14 | 1 Month 21days | 165 | 6006 |
| 29 | Monamox | 01.2014 | 04.2014 | 21.07.14 | 2 Month 21days | 1200 | 13464 |
| 30 | Monamox | 01.2014 | 04.2014 | 21.07.14 | 2 Month 21days | 600 | 6732 |
| 31 | Monamox | 01.2014 | 04.2015 | 21.07.14 | 12 Month 21days | 200 | 2244 |
| 32 | Amoxylin 500 mg | 02.2014 | 05.2014 | 01.09.14 | 3Month 1days | 35000 | 98284 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Total** | **463573** |

लेखा परीक्षा की आपत्ति को स्वीकारते हुये विभाग ने उत्तर में बताया कि भविष्य में नियमानुयार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः रू0 4.64 लाख की अनियमित औषधियों के क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## STAN

**प्रस्तर-2-** 05 पूर्ण हुई योजनाओं का हस्तान्तरण प्राप्त न किया जाना।

इकाई की राज्य/जिला योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण सम्बन्धी कार्यो की मासिक प्रगति आख्या माह 12/2016 का अवलोकन करने पर पाया गया कि कुल 05 योजनाऐं जोकि अधिकतम 03 वर्ष एवं न्यूनतम 03 माह पूर्व पूर्ण हो चुकी थी किन्तु लेखा परीक्षा तिथि तक उक्त योजनाओं को निर्माण इकाई से हस्तान्तरित नहीं करवाया जा सका। विवरण निम्नवत है।

| क्रमांक | कार्य का नाम | स्वीकृत वर्ष | स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि | कार्य पूर्ण होने का माह | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रा0स्वा0केन्द्र जखेड़ा | 2010–11 | 37.10 | 10/2013 | 03 वर्ष 03 माह |
| 2 | प्रा0स्वा0केन्द्र कौसानी | 2012–13 | 25.98 | 8/2015 | 01 वर्ष 05 माह |
| 3 | उपकेन्द्र भण्डारगांव | 2013–14 | 28.62 | 3/2016 | 10 माह |
| 4 | उपकेन्द्र बमसेरा | 2014–15 | 30.95 | 10/2016 | 03 माह |
| 5 | उपकेन्द्र चलकाना | 2015–16 | 28.32 | 10/2016 | 03 माह |

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि पूर्ण योजनाओं को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उपकेन्द्र चलकाना के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में बताया गया कि उसके चारों ओर चारदीवारी की आवश्यक्ता महसूस हुई जिस कारण निर्माण इकाई को कार्य कराये जाने हेतु कहा गयज्ञं

विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि अधिकतम 03 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुकी योजनाओं का हस्तान्तरण प्राप्त नहीं किया जा सका। उपकेन्द्र चलकाना का हस्तान्तरण इस लिये प्राप्त नहीं किया गया कि उसके चारों ओर चारदीवारी की आवश्यक्ता है। यदि ऐसा आवश्यक था तो उसे पूर्व आगणन में शामिल किया जाना चाहिए था। हस्तान्तरण प्राप्त न किये जाने के कारण जिस उद्देश्य से उक्त प्राथमिक उपकेन्द्रों को निर्माण किया जाना था उसकी पूर्ति नहीं हो सकी।

अतः 05 पूर्ण हुई योजनाओं का हस्तान्तरण प्राप्त न किये जाने को प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग – **V**

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i)

(ii) –शून्य–

(iii)

2. सतत् अनियमितताऐंः

(i) –शून्य–

3. लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

| क्रम सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | डा0 एच0 सी0 जोशी | 01.05.11 से 16.11.11 |
| 2 | डा0 के0 सी0 ठाकुर | 17.11.11 से 07.08.12 |
| 3 | डा0 चन्द्रा पन्त | 08.08.12 से 22.11.13 |
| 4 | डा0 डी0 एम0 गर्ब्याल | 23.11.13 सं31.12.13 |
| 5 | डा0 जे0 सी0 मण्डल | 01.01.14 से 30.06.16 |
| 6 | डा0 एस0 के शाह | 01.07.16 से लगातार |

लघु एवं प्रकियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर को इस आशय से प्रषित कर दी जायेगी की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उपमहालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

व0 लेखा परीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र